भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 931
जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

नोटरी की संख्या में वृद्धि

931. श्रीमती रंजनबेन भट्ट :

श्री वी. के. श्रीकंदन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई राज्यों की मांग/ अनुरोध पर देश में नोटरी की संख्या बढ़ाई है/ बढ़ाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य वार क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : समुचित सरकार अर्थात् केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों की अधिकतम संख्या नोटरी नियम, 1956 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है । उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुरोध पर, ऐसे राज्य के लिए रिक्तियों का कोटा सा.का.नि. सं. 746(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2021 द्वारा बढ़ा दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त, उक्त अनुसूची विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार नोटेरियों के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सा.का.नि.सं. 438(अ), तारीख 10 जून, 2022 द्वारा संशोधित की गई है ।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता है ।

****